


भारतीय नैऋत्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GL 498326

(प्रारूप-अ)

हम सुनात सिंह एवं सतीश कुमार सिंह ज्यवा खखन्दा एवं ललित भारद्वाज द्वारा पूरा और इस्टिम्बुट मेला नगर बीदा रोड प्रदेस समक्षपूर्वक निम्नवत् अज्ञान कसो है।

1. यह कि हमारी दस्त हारा अरबबेदएलठ इस्टिम्बुट ऑक फार्मसी अवेर बीदा नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना है।

2. यह कि हमारी दस्त के नाम से गमुवा में गाटा संख्या 2155क, 2155 संख्या क्रमका 0.810 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का सई भी नार किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या-2155क, 2155 संख्या क्रमका 0.810 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव दस्त की बैठक दिनांक-10/02/2020 द्वारा मालि किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तुत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के अंचालन हेतु गवर्नर का निर्णय अनुमोदित कसो के अनुसार किया गया है।



6. यह कि, निरीक्षण समिति को समस्त उपरोक्त पते पर दृष्ट के नाम भूमि एवं स्या पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समस्त निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं स्या पर निर्मित भवनों पर फार्मसी कार्टरिजल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही विप्लोय फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी कार्टरिजल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शक्तता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टता प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व स्या पर निर्मित भवनों में फार्मसी कार्टरिजल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च स्तर तक से सम्बद्ध सभा एवं संघों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईआईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ एवं प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी कार्टरिजल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं शारीरिक स्टाफ की तैयारी ट्रस्ट द्वारा एक मास में पूर्ण कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शालन/परिषद द्वारा निर्गत विदेशी/अपदेशों का भलीभांति चालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधि-कार्यवाही नहीं की जाएगी।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना यही मिली जानकारी से पूर्ण रूप से सत्य है। यदि मेरी दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज कहीं कूटचित्त अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे कानून परिषद द्वारा नियमानुसार कायम समस्त कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की कभी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।



सुमनदेवी
80 सचिव

80 अंगद

